भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1834

(जिसका उत्तर,सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)को दिया जाना है)

पार्टी फंड का संग्रहण

1834. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में पार्टी-वार पार्टी फंड के संग्रहण संबंधी राजनीतिक दलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) ऐसी शिकायतों के विशिष्ट मामलों का ब्यौरा क्या है और तेलंगाना राज्य के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु सटीक कदम उठाए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा फंडिंग पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्तग राज्य मंत्री(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा सरकार को सूचित किया गया है कि पार्टी फंड के संग्रहण के संबंध में विगत तीन वर्षों में ईसीआई में किसी भी राजनीतिक दल के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।तथापि, दिनांक 19.01.2018 के सीएम संख्या 1453/2018 के आदेश तथा श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच रिट याचिका (सी) 526/2018, गरिकापति मोहन राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) के पत्र जिसके साथ तेलुगु देसम पार्टी , तेलंगाना के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी , विधायक से प्राप्त दिनांक 18 जुलाई , 2017 का अभ्यावेदन संलग्न है , पर आयोग में कार्रवाई की गई थी। उक्त अभ्यावेदन में बंगारूकुली की आड़ में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) पार्टी से अनुचित पक्ष लेने के बदले में व्यष्टियों , संस्थानों और एसोसिएशनों से बड़ी धनराशि एकत्रित करने के लिए श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने टीआरस के विरुद्ध शिकायत की है।

आयोग ने दिनांक 12 फरवरी , 2018 के पत्र सं. 56/शिकायत/2017/पीपीईएमएस के द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में यथाप्रस्तुत , उठाए गए मुद्दों की जांच की गई थी। श्री अनुमुला को दिनांक 18 जुलाई, 2017 के अभ्यावेदन तथा

रिट याचिका में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को राज्य में पुलिस प्राधिकारियों अथवा आयकर अधिकारियों के साथ उठाने की सलाह दी गई इसके अतिरिक्त , श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने दिनांक 18 दिसंबर , 2018 और 31 दिसंबर , 2018 के पत्र के द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मुद्दे को पुन: उठाया और बंगारूकुली से संबंधित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अग्रेषित पत्र की प्रति तथा अंशदान और वित्त वर्ष 2017 -18 के लिए टीआरस पार्टी की लेखापरीखा रिपोर्ट की प्रतियों का अनुरोध किया है। निर्वाचन आयोग ने दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अपने पत्र सं. 509/2/2018 -आरसीसी के माध्यम से इन शिकायतों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अग्रेषित कर दिया है और इसकी सूचना श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी दे दी है। श्री अनुमुला ने दिनांक 20 नवंबर , 2019 के अपने पत्र के द्वारा 12 फरवरी , 2018 के आयोग के पत्र का हवाला दिया है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आयोग ने 17 फरवरी , 2020 के अपने पत्र के द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकरणों अर्थात पुलिस और आयकर विभाग के साथ उठाया जाए।

(ग): नकद लेनदेन हतोत्साहित करने और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण स्रोतों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से , सरकार ने वित्त विधेयक , 2017 के माध्यम से आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 13क के उपबंधों में संशोधन करते हुए अंजान व्यक्तियों से नकद चंदा लेना ₹2000 तक सीमित कर दिया है। भलीभांति स्थापित लेखापरीक्षा पद्धति के साथ देश में पारदर्शी राजनैतिक वित्तपोषण प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार ने दिनांक 02 जनवरी , 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 29(अ) के द्वारा "इलेक्टोरल बांड स्कीम , 2018" की शुरुआत की है।

(घ) और (ङ):निर्वाचन आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि वह राज्य द्वारा वित्तपोषण के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह उम्मीदवारों द्वारा स्वयं किए जाने व्यय अथवा राज्य द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय को न तो रोक सकने और न उसकी जांच कर सकने में समर्थ है। निर्वाचन आयोग का विचार है कि वास्तविक मुद्दों का निराकरण करने के लिए , राजनीतिक दलों द्वारा निधियां प्राप्त करने संबंधी उपबंधों तथा उस तरीके में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा जिससे ऐसी निधियां उनके द्वारा खर्च की जाती हैं ताकि इस मामले में संपूर्ण पारदर्शिता आ सके।

*****